न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र मोहन सहाय, ...उच्चतर न्यायिक सेवा।

प्रकीर्ण सिविल अपील सं०-60/2025
CNR No. UPFZ01-004739-2025
Computer Registration No.67/2025
J.O.Code No. UP-6117

आलोक कुमार पुत्र देवी सहाय निवासी ग्राम पूरे रिसाल तिवारी मजरे खानपुर, परगना पश्चिमराठ, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या।

.....अपीलार्थी।

ब ना म

राम शंकर पुत्र शीतला निवासी ग्राम पूरे रिसाल तिवारी मजरे खानपुर, परगना पश्चिमराठ, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या।

.....प्रत्यर्थी/विपक्षी।

नि र्ण य

1. प्रस्तुत, प्रकीर्ण सिविल अपील विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर, अयोध्या द्वारा मूलवाद संख्या 1026/2024 "आलोक कुमार बनाम रामशंकर" में पारित आदेश दिनांकित 06.08.2025, जिसके द्वारा अपीलार्थी/वादी **आलोक कुमार** का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कागज संख्या 6 ग² निरस्त किया गया है, के विरूद्ध अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1(r) सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के निस्तारण से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य संक्षेप में यह है कि वादी/अपीलार्थी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 6 ग² अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा०दी० इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वह भूमि गाटा संख्या 292 क्षेत्रफल 0.017 हे० स्थित मौजा धौरहरा मुकुन्दहा, परगना पश्चिमराठ, तहसील मिल्कीपुर, जिला अयोध्या, जिसे नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर क, ख, ग, घ, य, र से दर्शित किया गया है, पर निर्बाध रूप से बतौर मालिक स्वामी काबिज दखील चला आ रहा है। जिसके पश्चिमी अंश में उसने अपना मकान, बैठका, मंदिर का निर्माण कराया है तथा उक्त गाटा की शेष भूमि अर्थात पूर्वी अंश को खाली छोड़ रखा है। जिसका उपयोग उपभोग वह घर ग्रहस्थी, उठने बैठने, जानवर बांधने, घूर, कडौर लगाने, उपली कण्डा पाथने एवं अन्य कार्यों में करता है। प्रतिवादी, विवादित भूमि को खाली होने एवं आबादी से सटी होने के कारण अक्षर ख, ग, य, र पर जबरन कब्जा करने का षडयंत्र करते हुए विवादित भूमि में वादी के रखें सामान, पुआल, सरपत, पूर, कण्डौर एवं गृहस्थी के सामान के क्षतिग्रस्त कर निर्माण कर लेना चाहता है। किन्तु प्रतिवादी अपने सहयोगियों के साथ विवादित भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर लेना चाहता है।

3. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर अपनी लिखित आपत्ति कागज संख्या 15 ग प्रस्तुत कर यह कथन किया है

Digitally signed by Surendra Mohan Sahay
Date: 2026.08.13 16:39:35 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कि वादी, भूमि गाटा संख्या 292 रकबा 0.0170 हे0 का सक्रमणीय भूमिधर है तथा अपने रकबे से अधिक 0.0180 हे0 पर मकान बनाकर व 0.010 हे0 पर मन्दिर बनाकर काबिज है। वह भूमि गाटा संख्या 291 मि0 में 291 ख का खातेदार व सक्रमणीय भूमिधर है। गाटा संख्या 291 ख का सम्पूर्ण रकबा 0.098 हे० है, जिसमें से उसे अपने भाईयों से बंटवारे के बाद 0.024680 भाग 291 ख/2 प्राप्त हुआ। वह विकलांग व्यक्ति है। उसने धीरे-धीरे कमाई करके लगभग 03 वर्षों से अपने हिस्से की भूमि पर मकान का निर्माण कराया, जिसकी दीवाल लगभग 10 फिट ऊँची होकर सटरिंग लग गयी है। वादी कपोल कल्पित कहानी गढ़कर दूसरा फाइनल मैप लगाकर उसकी भूमि को अपनी बताकर उसे झूठे कथनों के आधार पर पार्टी बनाकर मात्र हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से अपनी खतौनी दिखाकर स्थगन ले लिया और बलपूर्वक उसके निर्माण को रूकवा दिया। भूमि गाटा संख्या 292 पर उसके द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है, जो भी निर्माण हुआ है, वह उसकी अपनी भूमि गाटा संख्या 291 ख/2 पर बटवारा दिनाक 29.07 2018 के अनुरूप कर रहा है। गाटा सख्या 292 के अपने रकबे से ज्यादा भाग पर वादी द्वारा निर्माण किया गया है तथा गाटा संख्या 292 के पूरब प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की गाटा संख्या 291 ख/2 है, जिसमें उसके द्वारा अपने हिस्से के सम्पूर्ण भाग पर मकान बनवाया जा रहा है। जिस पर वह अपने पिता के बाद जरिये वरासत काबिज दखील दर्ज है। वादी से उसका कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। वादी द्वारा मात्र हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से यह बाद प्रस्तुत किया गया है।

4. अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में मुख्यतः यह आधार लिया है कि विवादित भूमि, आराजी गाटा संख्या 292 का अंश है और गाटा संख्या 292 राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थी के नाम दर्ज है। किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने उसे नजरन्दाज कर भ्रामक तथ्यों के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया है। आक्षेपित आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से गाटा संख्या 292 तथा 291 ख के संबंध में निष्कर्ष निकाला गया है, वह अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र के निस्तारण के स्तर पर अनावश्यक था। प्रश्नगत आदेश वैधानिक तथा तथ्यात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है, जो निरस्त होने योग्य है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने प्रस्तुत अपील में आपत्ति करते हुए यह कहा है कि अपीलार्थी गाटा संख्या 292 रकबा 0.0170 हे० का संक्रमणीय भूमिधर है तथा अपने रकबे से अधिक 0.0180 हे० पर मकान बनाकर व 0.010 हे० पर मंदिर बनाकर काबिज है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी गाटा संख्या 291 मि० में 291 ख का सहखातेदार व संक्रमणीय भूमिधर है। गाटा संख्या 291 ख के सम्पूर्ण रकबा 0.098 हे० में से अपने भाईयों से बटवारा के बाद 0.0246 हे० भूमि उसे प्राप्त हुई। जिसमें गाटा सं0-291 ख/1 सोहनलाल को तथा भूमि गाटा सं0-291 ख/2 प्रत्यर्थी अर्थात रामशंकर तथा भूमि गाटा सं0 291 ख/3 सुरेन्द्र नाथ आदि को मिला। वह धीरे-धीरे कमाई करके लगभग 03 वर्षों से अपने हिस्से की भूमि पर मकान का निर्माण कराया, जिसकी दीवाल लगभग 10 फिट ऊंची होकर सटरिंग लग

गयी है। अपीलार्थी ने झूठे कथनों के आधार पर अपनी खतौनी दिखाकर स्थगन ले लिया और बलपूर्वक प्रत्यर्थी के निर्माण को रूकवा दिया। गाटा संख्या 292 के अपने रकबे से ज्यादा भाग पर अपीलार्थी द्वारा निर्माण किया गया है तथा गाटा संख्या 292 के पूरब, प्रत्यर्थी की गाटा संख्या 291 ख/2 है, जिस पर उसके द्वारा अपने हिस्से के सम्पूर्ण भाग पर मकान बनवाया जा रहा है। मौके की कमीशन आख्या 32 ग को न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2025 को साक्ष्याधीन पुष्ट किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की बहस की सुनकर व दोनो पक्षों के अभिलेखों का परिशीलन करते हुए गुण दोष के आधार पर पारित किया गया है। जो विधिसम्मत एवं न्याय की मंशा के अनुरूप है। अतः प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त कर आदेश पुष्ट किये जाने की याचना की गई है।

6. उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 06.08.2025 द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कागज संख्या-6 ग[2] निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध यह वर्तमान प्रकीर्ण सिविल अपील, अपीलार्थी/वादी आलोक कुमार द्वारा प्रस्तुत की गई है।

7. अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा० दी० का निस्तारण के स्तर पर न्यायालय को निम्न तीन महत्वपूर्ण विन्दुओं पर मुख्यतः विचार करना आवश्यक होता है--

I- **प्रथम दृष्टया मामला**

II- **सुविधा का सन्तुलन**

III- **अपूर्णनीय क्षति**

8. जो भी पक्ष न्यायालय से अपेक्षा करता है कि न्यायालय उसके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करें, उसे उपरोक्त तीनों विन्दुओं को मुख्यतः अपने पक्ष में साबित करना होता है। विद्वान अवर न्यायालय ने भी आक्षेपित आदेश दिनांकित 06.08.2025 में इन्हीं तीन बिन्दुओं पर बल देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **आनन्द प्रकाश अग्रवाल बनाम तारकेश्वर (2001 5 SCC 568)**, **काशी मठ संस्थान एवं अन्य बनाम श्रीमद् सुदेन्द्रा थिंहा स्वामी एवं अन्य (AIR 2010 SC 296)** को उद्धरित किया गया है। इस न्यायालय को पत्रावली पर दाखिल साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए यह देखना है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त तीनों विन्दुओं पर दिया गया अभिमत विधि सम्मत है, कोई वैधानिक त्रुटि तो नहीं है एवं अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किया गया है अथवा नहीं।

09. विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी/वादी आलोक कुमार द्वारा विवादित भूमि गाटा संख्या 292 क्षेत्रफल 0.0170 हे० स्थित मौजा दौरहरा मुकुन्दहा, परगना पश्टिमराठ, तहसील मिल्कीपुर, जिला अयोध्या जिसे नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर क, ख, ग, घ, य, र से दर्शित किया गया है, जिस पर आलोक कुमार द्वारा उक्त भूमि में पूर्वी अंश जिसे नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर य, ख, ग, र से

दर्शित किया गया है, को लाल रेखा से अंकित कर उक्त भाग को विवादग्रस्त कहा गया है। अपीलार्थी/वादी उक्त पूर्वी अंश पर अपने कब्जे के संबंध में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि वह उसने अपने गाटे की उक्त भूमि अर्थात जिसे वादी/अपीलार्थी ने विवादित होना कहा है, को खाली छोड़ रखा है, जिसका उपयोग उपभोग वह अपने घर गृहस्थी का कार्यों, उठने बैठने जानवर बांधने, घूर कण्डौर लगाने, उपली कण्डा पाथने एवं अन्य कार्यों में करता चला आ रहा है। अर्थात विवादित भूमि को अपने मकान का पूर्वी अंश तथा अपने गृहस्थी के कार्यों में उपयोग होने वाली भूमि बताया है। जबकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा वादी/अपीलार्थी के इस तर्क को कि वह भूमि गाटा संख्या 292 रकबा 0.0170 हे० का संक्रमणीय भूमिधर है, स्वीकार करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वादी/अपीलार्थी ने अपने रकबे (0.0170 हे०) से अधिक 0.0180 हे० पर मकान बनाकर व 0.010 हे० पर मंदिर बनाकर कब्जा कर लिया है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी गाटा संख्या 291 मि० में 291 ख का खादेदार व संक्रमणीय भूमिधर है। गाटा संख्या 291 ख का सम्पूर्ण रकबा 0.098 हे० होना कहा है और जरिए बंटवारा उसे 0.024680 भाग 291 ख/2 प्राप्त हुआ। उसके द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर मकान का निर्माण कराया जिसकी दीवाल 10 फिट ऊंची होकर सटरिंग लग गयी है। उसके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसने अपीलार्थी/वादी के गाटा संख्या 292 पर कोई निर्माण नहीं किया है।

10. यहाँ पर यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलार्थी भूमि गाटा संख्या 292 रकबा 0.0170 हे० का संक्रमणीय भूमिधर है और प्रतिवादी को भी जरिए बंटवारा गाटा संख्या 291 ख/2 रकबा 0.024680 हे० अंश प्राप्त हुआ है। इस तथ्य में किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है अर्थात प्रस्तुत प्रकरण में स्वामित्व का कोई विवाद नहीं है। अपीलार्थी द्वारा विवादित अंश को जिसे नक्शा नजरी वाद पत्र में लाल रेखा से प्रदर्शित करते हुए अक्षर य, ख, ग, र से प्रदर्शित किया गया है। न्यायालय को यह देखना है कि नक्शा नजरी वाद पत्र में प्रदर्शित विवादित भूमि अक्षर य, ख, ग, र जिसे स्वयं वादी ने लाल रेखा से अंकित कर विवादित होना कहा गया है, क्या वास्तव में गाटा संख्या 292 का अंश है अथवा नहीं, क्योंकि वादी द्वारा उक्त विवादित अंश के संबंध में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वह उसके गाटा संख्या 292 का पूर्वी अंश है। यद्यपि इस तथ्य का निर्धारण पत्रावली पर उभय पक्षों का साक्ष्य संकलित होने के पश्चात वाद की उचित अवस्था में ही किया जायेगा परन्तु प्रथम दृष्टया न्यायालय को यह देखना होगा कि वादी/अपीलार्थी द्वारा जो कथन अपने वाद पत्र में किये गये हैं, क्या उनके आधार पर विवादित भूमि जिसे नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर य, ख, ग, र से प्रदर्शित करते हुए लाल रेखा से रेखांकित किया गया है, पर क्या वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

11. अपीलार्थी/वादी द्वारा विवादित भूमि जिसे उसने अपने मकान का पूर्वी अंश होना बताया है, को खाली छोड़ने का कथन किया है, उसके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वह उक्त भूमि का उपयोग उपभोग अपने घर गृहस्थी का कार्यों, उठने बैठने, जानवर बांधने, घूर कण्डौर लगाने, उपली कण्डा पाथने एवं अन्य गृहस्थी के कार्यों में करता चला आ रहा

है। यहां पर पत्रावली पर दाखिल कमीशन आख्या मय मानचित्र जो कि मूलवाद की पत्रावली में कागज संख्या 32ग2/1 लगायत 32ग2/4 जो कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2025 को साक्ष्याधीन पुष्ट की जा चुकी है। यद्यपि यह सही है कि कमीशन आख्या मय मानचित्र उभय पक्ष की आपत्ति के आलोक में साक्ष्याधीन पुष्ट है, अर्थात कमीशन आख्या पर उभय पक्ष का साक्ष्य संकलन के पश्चात ही वाद की उचित अवस्था में निष्कर्ष दिया जाना संभव होगा, किन्तु फिर भी इस स्तर पर यदि कमीशन आख्या का प्रथम दृष्टया अवलोकन किया जाये तो यह स्पष्ट है कि जहां अपीलार्थी/वादी ने वाद पत्र में विवादित भूमि को अपने गृहस्थी के कार्यों में उपयोग उपभोग में लेना कहते हुए नक्शा नजरी वाद पत्र में उसमें सहन, चरन, खूंटा, पुआल होना दर्शित किया गया है, जबकि कमीशन आख्या मानचित्र कागज संख्या 32ग2/2 में विवादित भूमि में ईंट की दीवाल लिंटर बराबर सटरिंग लगी दर्शित की गई है।

12. पत्रावली पर वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी एवं अमीन आख्या मानचित्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह भी स्पष्ट है कि वादी/अपीलार्थी ने अपने मकान और विवादित भूमि के दक्षिण गाटा संख्या 300 व 299 होना दर्शित किया है तथा विवादित भूमि के दक्षिणी-पूर्वी कोने के पूरब व दक्षिण कोई खण्डन्जा रास्ता दर्शित नहीं किया गया है, जबकि अमीन आख्या मानचित्र में विवादित भूमि के दक्षिण ईंट दीवाल हाता वादी दर्शित है और विवादित भूमि के दक्षिणी-पूर्वी कोने के पूरब व दक्षिण कोई खण्डन्जा रास्ता दर्शित किया गया है। जिसके संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी आक्षेपित आदेश के पृष्ठ संख्या 7 के अन्तिम प्रस्तर में प्रकाश डाला गया है। इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय जो निष्कर्ष दिया गया है, वह सही है और यह स्पष्ट है कि राजस्व नक्शे से नक्शा नजरी वाद पत्र का समर्थन नहीं होता है।

13. पत्रावली पर जो भी अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा सूची 11ग से कागजात दाखिल किये गये हैं जो कि वादी/अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दाखिल किये गये हैं और जिनके संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के पृष्ठ संख्या 4 के अन्तिम प्रस्तर में विस्तृत उल्लेख करते हुए प्रथम दृष्टया यह पाया है कि वादी का नाम गाटा संख्या 292 रकबा 0.0170 हे० स्थित ग्राम धौराहरा मुकन्दहा, परगना पश्चिमराठ, तहसील मिल्कीपुर, जिला अयोध्या पर खातेदार के रूप में दर्ज है, स्वयं प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने भी अपनी आपत्ति में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत नकल नक्शा फाइनल ग्राम धौराहरा मुकन्दहा के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह भी स्पष्ट है कि गाटा संख्या 292 के पूरब गाटा संख्या 291, पश्चिम व उत्तर मार्ग दर्शित है, जो कि अमीन आख्या मानचित्र में भी दर्शित है। जबकि नक्शा नजरी वाद पत्र में विवादित भूमि के पूरब व दक्षिण कोई खण्डन्जा/रास्ता दर्शित नहीं किया गया है।

14. पत्रावली पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में भी विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि फेहरिस्त 17ग के माध्यम से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने नकल खतौनी गाटा सं० 291 ख/2, रकबा 0.0246 हे० प्रथग

दृष्ट्या स्पष्ट है कि प्रतिवादी का नाम, उपरोक्त गाटे के संदर्भ में, संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उपरोक्त सूची से प्रस्तुत उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर अयोध्या को सम्बन्धित लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 29/11/2024, के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि लेखपाल द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि गाटा सं० 291 ख/2, रकबा 0.0246 हे० संक्रमणीय खाते की भूमि है, जिस पर प्रार्थी विधिक बटवारा पश्चात अपनी भूमि पर मकान निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार उपरोक्त सूची से प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर, अयोध्या द्वारा पारित आदेश मय कुर्रा दिनांकित 29/07/2018 अंतर्गत धारा 116 राजस्व संहिता, सोहनलाल बनाने सुरेन्द्रनाथ आदि की छायाप्रति, के अवलोकन से भी प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि खातेदारान सोहनलाल, राम शंकर तथा सुरेन्द के मध्य गाटा सं० 291 ख, रकबा 0.098 है० तथा गाटा सं० 323 रकबा 0.040 है। कुरा बटवारा किया गया है तथा बटवारे के पश्चात प्रतिवादी राम शंकर को गाटा सं० 2 में से रकबा 0.0246 हे० प्रात हुआ है तथा जिसका रंग हरा बताया गया है। उपरोक्त प्रस्तुत एक किता दावा अंतर्गत धारा 24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, आलोक कुमार सरकार आदि, के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि वादी आलोक द्वारा उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर, अयोध्या को दिनांक 09/09/2022 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत गया है कि गाटा सं० 292 रकबा 0.017 हे० की नियमानुसार हदबरारी कराकर स पत्थर नसब कराया जाय। उपरोक्त सूची से उप जिलाधिकारी, मिल्कीपुर, अयोध्या को प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांकित 10/04/2023 की छायाप्रति, के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि गाटा संख्या 292 में आबादी बसी हुई है तथा जिसमें वादी आलोक का 0.018 हे० पर कब्जा है तथा 0.010 हे० पर मन्दिर आदि बना है तथा स्थल पर आबादी बसी होने के कारण वादी को कब्जा दिया जाना संभव नहीं है।

15. पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा फेहरिस्त 37 ग के माध्यम से गाटा सं० 291 ख/2 के बाबत हुए सीमांकन आदेश की नकल दाखिल की गई है। जिसके अवलोकन से भी प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर, अयोध्या अपने आदेश दिनांक 18/02/2025 द्वारा गाटा सं० 291 ख/2 के बावत राजस्व निरीक्षक की सीमांकन आख्या एवं फील्ड बुक दिनांकित 17/12/24 को पुष्ट करते हुए राजस्व निरीक्षक को पत्थर नसब हेतु निर्देशित किया है तथा सीमांकन आख्या व फील्ड बुक को आदेश का अंग बनाया गया है। उप जिलाधिकारी के उपरोक्त आदेश के आलोक में पैमाइश आख्या दिनांकित 15/12/2024 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक में इस आशय की आख्या प्रस्तुत की है कि *गाटा सं० 292 में वादी आलोक कुमार का खतौनी के क्षेत्रफल 0.017 हे० के सापेक्ष 0.018 हे० पर कब्जा है तथा इसी गाटा सं० में 0.010 हे० पर मन्दिर निर्मित है तथा निर्माणाधीन मकान गाटा सं० 291 में पड़ता है जो गाटा सं० 291 ख/2 क्षेत्रफल 0.0246 हे० की भूमि है तथा निर्माण से बगल की गाटा संख्याओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा*। इन सभी तथ्यों का उल्लेख विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में भी किया गया है।

16. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था The National Textile Corporation U.P Ltd. Vs Swadeshi Cotton Mills Ltd., 1987 ALJ 1266(All-D.B), Shivnath Vs District Judge, Nainital, 1991 AWC 30 (All) एवं विधि व्यवस्था Naresh Chandra Vs. D.M, Nainital AIR 1990 All 188 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष साम्या पर आधारित अनुतोष है तथा अगर पक्षकार द्वारा किसी तथ्य को न्यायालय के समक्ष छुपाकर तथा मिथ्या निरूपण करके अनुतोष चाहा गया है तो अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष उसे नहीं प्राप्त होगा भले ही प्रथम दृष्टया मामला पक्षकार के पक्ष में हो। उपरोक्त समस्त विष्लेषण एवं पत्रावली पर दाखिल साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी/वादी विवादित भूमि पर प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में बनता प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा अपने तर्कों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **महारवाल खेवाजी ट्रस्ट (पंजीकृत) फरीदकोट बनाम बलदेव दास 2005(23) एलसीडी 298** जिसमें यह तर्क प्रतिपादित किया गया है कि सामान्यतः निचली अदालत को संपत्ति की प्रकृति में परिवर्तन की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण या अलगाव भी शामिल है, क्योंकि इससे उस पक्ष को हानि या क्षति हो सकती है जो अंततः कार्यवाही में सफल हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त विधि व्यवस्था के सादरपूर्वक अवलोकन के उपरान्त यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त विधि व्यवस्था का लाभ वादी/अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है और उसके द्वारा विवादित भूमि को अपने घरेलू अर्थात गृहस्थी के कार्यों के रूप में प्रयोग होना कहा है जबकि अमीन आख्या मानचित्र में विवादित भूमि पर ईंट की दीवाल है और छत डालने हेतु सटरिंग लगी है, उसके द्वारा नक्शा नजरी वाद पत्र में विवादित भूमि के दक्षिण और विवादित भूमि के दक्षिण एवं पूर्वी हिस्से में रास्ते को भी दर्शित न कहना प्रथम दृष्टया यह साबित करता है कि वह न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है।

17. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है तो यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलार्थी ने विवादित भूमि में चरनी, खूंटा, पुआल होना दर्शित किया है, जबकि इसके विपरीत प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि में स्वयं के द्वारा धीरे-धीरे करके ईंट के मकान का निर्माण कराये जाने का कथन किया है, अमीन आख्या में भी विवादित भूमि के अन्दर ईंट का पक्का निर्माण सटरिंग सहित दर्शित किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि विवादित भूमि के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जाता है तो वादी/अपीलार्थी को कोई विशेष असुविधा और अपूर्णीय क्षति कारित नहीं होगी बल्कि उसे वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रतिक्षा करनी होगी।

विद्वान विचारण न्यायालय ने भी अपने आदेश में विधि व्यवस्था ऐसी स्थिति में विधि व्यवस्था **Kashi Math Sansthan *Versus* Shrimad Sudhindra Thirtha Swamy, [A.I.R 2010 (SC) 296]** का उल्लेख किया है, जिसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत अवधारित किया है कि "Interim injunction U/o. 39, rule 1& 2 C.P.C cannot be granted when the party is unable to prove prima facie case in his favor even if such party makes out a case of balance of convenience and irreparable injury". इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति वादी/अपीलार्थी के पक्ष में नहीं हैं और इन विन्दुओं पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष में किसी प्रकार की को अवैधानिकता नहीं है।

18. उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवादित सम्पत्ति पर अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश ना पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है, ना ही कोई तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, ना ही उसमें कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। अतः प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त करने योग्य है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.08.2025 पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत, प्रकीर्ण सिविल अपील सं०-60/2025 बउन्मान "आलोक कुमार बनाम रामशंकर" निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.08.2025 पुष्ट किया जाता है। उभय पक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की मूलप्रति के साथ विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये। उभय पक्ष विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.08.2026 को उपस्थित हो।

दिनांक 13.08.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code-UP6117
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
अयोध्या

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 13.08.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code-UP6117
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
अयोध्या